न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी:—.चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बर:—11 / 2015 अपील
मुस्मात सायरी पुत्री छोगा पत्नि किशन गाडरी, उम्र बालिग निवासी सिदड़ियास हाल साखरिया खेड़ा (जोधड़ास) तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

—————अपीलार्थीया

बनाम

1—कल्याण पिता छोगा गाडरी, उम्र बालिग निवासी सिदड़ियास तहसील भीलवाड़ा
2—मोहन पिता छोगा गाडरी, उम्र बालिग निवासी सिदड़ियास तहसील भीलवाड़ा
3—मु0 कोयली पुत्री छोगा पत्नि काना गाडरी, उम्र बालिग निवासी सिदड़ियास हाल साखरिया खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4—मु0 अनोपी पुत्री छोगा पत्नि कालू गाडरी, उम्र बालिग निवासी सिदड़ियास हाल ओज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
5—ग्राम पंचायत सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
6—बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा—बड़ा महुआ तहसील व जिला भीलवाड़ा
7—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

—————रेस्पोडेंटगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956
निर्णय विरूद्व नामान्तरण संख्या 969 दिनांक 21.7.1995 अधीनस्थ
न्यायालय ग्राम पंचायत सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाड़ा

उपस्थित:—

1—श्री दिनेश कुमार जोशी, — एडवोकेट—अपीलार्थीया

:: नि र्ण य :: दिनांक:—31.1.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत रेस्पोडेंटगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम सिदड़ियास पटवार हल्का सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाड़ा में इंतकाल नम्बर 969 की बिना कोई जॉच एवं तहकीकात किये ही उक्त विवादित नामान्तरण को तस्दीक कर दिया, जिससे असंतुष्ठ होकर अपीलार्थीया की ओर से यह प्रथम अपील पेश की जा रही हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.7.1995 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। ग्राम सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाड़ा में सम्वत् 2049 से 2052 में छोगा पिता धूला गाडरी के नाम आराजियात दर्ज हैं। आराजी नम्बर 1123, 1124, 1125, 1128 कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

अपीलार्थीया ने अपनी अपील में यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थीया छोगा की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान होकर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के साथ–साथ अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारणी हैं। किन्तु अपीलार्थीया ने इस बाबत कोई सजरा प्रस्तुत नहीं किया हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील मियाद बाहर होने से खारीज होने योग्य समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

अपीलार्थीया की अपील मियाद बाहर होने से खारीज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

(चिन्मयी गोपाल)
आई. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 31.1.2018 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner